

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-

144 आवंटन/कृ०, पटना, दिनांक 01/12/2015

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Mail/Fax

जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/ गया /जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/ सीवान /गोपालगंज / मुजफ्फरपुर /पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली / दरभंगा/ मधुबनी /समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर /बांका/ सहरसा /सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

विषय : वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन समान्य जाति के लिए 95.45 करोड़ रुपये (पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹95,45,00,000 (पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5602 दिनांक-28.11.2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन समान्य जाति के लिए 95.45 करोड़ रुपये (पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹95,45,00,000 (पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹95,45,00,000 (पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

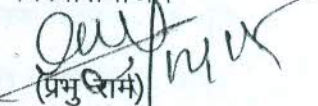
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. यह राशि सिर्फ रबी फसलों की सिंचाई हेतु आवंटित है। इस आवंटित राशि से खरीफ फसलों के सिंचाई में व्यय नहीं किया जाय। खरीफ फसलों के सिंचाई हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो अलग से मांग पत्र भेजें।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 144 आयं२१

/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/ 2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 144 आयं२१

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/ 2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्य) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 144 आयं२१

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/ 2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत रबी फसलों के सिंचाई के लिए (सामान्य वर्ग के लाभुकों) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5602 दिनांक-28.11.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401001090103

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी, पटना	3,64,17,000	3,64,17,000
2	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	3,41,42,000	3,41,42,000
3	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	3,00,59,000	3,00,59,000
4	जिला पदाधिकारी, बक्सर	2,81,29,000	2,81,29,000
5	जिला पदाधिकारी, रोहतास	4,68,47,000	4,68,47,000
6	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ)	2,56,76,000	2,56,76,000
7	जिला पदाधिकारी, गया	2,89,79,000	2,89,79,000
8	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	1,21,40,000	1,21,40,000
9	जिला पदाधिकारी, अरवल	79,99,000	79,99,000
10	जिला पदाधिकारी, नवादा	1,95,23,000	1,95,23,000
11	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	2,96,43,000	2,96,43,000
12	जिला पदाधिकारी, सारण	3,61,37,000	3,61,37,000
13	जिला पदाधिकारी, सिवान	3,34,75,000	3,34,75,000
14	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	3,18,23,000	3,18,23,000
15	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	4,05,87,000	4,05,87,000
16	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	4,35,49,000	4,35,49,000
17	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	2,96,14,000	2,96,14,000
18	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	2,35,59,000	2,35,59,000
19	जिला पदाधिकारी, शिवहर	63,20,000	63,20,000
20	जिला पदाधिकारी, वैशाली	2,20,54,000	2,20,54,000
21	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	2,86,94,000	2,86,94,000
22	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	2,82,27,000	2,82,27,000
23	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	2,95,70,000	2,95,70,000
24	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	2,55,82,000	2,55,82,000
25	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	86,22,000	86,22,000
26	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	1,09,00,000	1,09,00,000
27	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	87,86,000	87,86,000
28	जिला पदाधिकारी, जमुई	76,53,000	76,53,000
29	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	2,08,37,000	2,08,37,000
30	जिला पदाधिकारी, बांका	1,50,72,000	1,50,72,000
31	जिला पदाधिकारी, सहरसा	2,74,02,000	2,74,02,000
32	जिला पदाधिकारी, सुपौल	2,85,67,000	2,85,67,000
33	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	2,70,62,000	2,70,62,000
34	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	3,01,30,000	3,01,30,000
35	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	1,58,02,000	1,58,02,000
36	जिला पदाधिकारी, अररिया	2,71,88,000	2,71,88,000
37	जिला पदाधिकारी, कटिहार	2,51,97,000	2,51,96,000
38	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	2,25,38,000	2,25,38,000
	कुल	95,45,01,000	95,45,00,000
कुल-आवंटित राशि-(पन्चानवे करोड़ पैंतालीस लाख रु०) मात्र।			

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर
सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।